

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**(1) एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14966/2024**

1. राम निवास पुत्र श्री राम कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 8, चक 4-एसएमआर, ठुकराना, पो. ठुकराना, जिला गंगानगर (राज.)।
2. विक्रम सिंह राठौड़ पुत्र श्री इंदान सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गली नंबर 17, रामपुरा बस्ती, लालगढ़, बीकानेर (राज.)।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, कृषि विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जी.बी. पंत कृषि भवन, जन पथ, जयपुर प्रशासक के माध्यम से जयपुर।
3. महाप्रबंधक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन खण्ड, उपखण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़ ।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, सचिव के माध्यम से जयपुर।
6. अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन खण्ड, उपखण्ड-तृतीय, बीकानेर।
7. अशोक गोदारा पुत्र श्री शोभा राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम बोरवा, तहसील जायल, जिला नागौर ।
8. गुलाब सिंह भाटी पुत्र श्री देव किशन भाटी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी अचलवंशी कॉलोनी, जैसलमेर।

----प्रतिवादीगण

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

से सम्बंधित**(2) एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14925/2024**

बलदेव सिंह पुत्र श्री राजू राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी इंदपालसर हीरावतन, श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, कृषि विभाग सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जी.बी. पंत कृषि भवन, जन पथ, जयपुर प्रशासक के माध्यम से जयपुर।
3. महाप्रबंधक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन खण्ड, उपखण्ड द्वितीय, बीकानेर।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, सचिव के माध्यम से जयपुर।

----प्रतिवादीगण

(3) एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15013/2024

अजय कुमार रार पुत्र स्व. बनवारी लाल रार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, रार की ढाणी, मुड़ियावास, सीकर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव , कृषि विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

2. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जी.बी. पंत कृषि भवन, जन पथ, जयपुर प्रशासक के माध्यम से जयपुर।
3. महाप्रबंधक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन खण्ड, उप-संभाग-टर्मिनल मंडी, जयपुर।
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, सचिव के माध्यम से जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री हरीश कुमार पुरोहित
 प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री कुणाल बिश्रोई
 श्री सुशील सोलंकी
 श्री आईआर चौधरी , एएजी
 श्री केएस सोलंकी द्वारा सहायता प्राप्त
 श्री मनीष पटेल के लिए
 सुश्री नंदिपना गहलोत

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

निर्णय

प्रकाशन -योग्य

05/03/2025

1. ऊपर उल्लिखित इन रिट याचिकाओं में प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए पारित दिनांक 27.08.2024 और 28.08.2024 के विभिन्न आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सिविल इंजीनियर (डिग्री धारक) के कैडर में स्थानांतरण के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करने वाले दिनांक 07.02.2024 के पहले के आदेश को

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

वापस ले लिया गया है/निरस्त कर दिया गया है, साथ ही दिनांक 28.08.2024 के आदेश को भी वापस ले लिया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिप्लोमा धारक) की वरिष्ठता सूची में रखा गया है।

2. मामले के तथ्य महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड - प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 03.03.2020 को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिग्री धारक) के लिए 59 पद और कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिप्लोमा धारक) के लिए 15 पद अधिसूचित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया था।

3. याचिकाकर्ताओं ने कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (अर्थात् डिग्रीधारक और डिप्लोमाधारक) दोनों श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन किया था क्योंकि आवेदन पत्र जमा करते समय उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री दोनों थे। दुर्भाग्यवश, पेपर लीक होने के कारण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिग्रीधारक) के पद पर भर्ती स्थगित हो गई, जबकि याचिकाकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिप्लोमाधारक) की वरीयता सूची में अपना स्थान सुरक्षित करने में सफल रहे। यह अलग बात है कि बाद में याचिकाकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिग्रीधारक) की भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल हुए, लेकिन सफल नहीं हो पाए।

4. याचिकाकर्ताओं को दिनांक 30.11.2021 के आदेश के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिप्लोमा धारक) के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें नियमित कर दिया गया।

5. बाद में, याचिकाकर्ताओं ने आवेदन (याचिकाकर्ता संख्या 1- दिनांक 03.01.2024, एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14925/2024) प्रस्तुत कर

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिग्री धारक) के रूप में अपनी नियुक्ति की मांग की, यह दावा करते हुए कि उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में भी डिग्री है।

6. याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर प्रतिवादियों द्वारा अनुकूल विचार किया गया और दिनांक 07.02.2024 के आदेशों के माध्यम से, न केवल याचिकाकर्ताओं की डिग्री उनके सेवा अभिलेख में दर्ज की गई, बल्कि उनके नाम कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिग्री धारक) की सूची में भी जोड़े गए और परिणामस्वरूप, उनके नाम कनिष्ठ अभियन्ता - डिग्री धारकों की वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर दर्शाए गए।

7. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह मामला प्रस्तुत किया गया है कि जब राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड - प्रतिवादी संख्या 2 ने कार्मिक विभाग से राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं सड़क शाखा) सेवा नियम, 1973 (जिसे आगे 'नियम 1973' कहा जाएगा) के नियम 6 के परन्तुक के खंड (घ) का लाभ प्रदान करने के बारे में राय मांगी, तो उन्होंने यह राय व्यक्त की कि याचिकाकर्ताओं की कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिग्रीधारी) के रूप में नियुक्ति उसमें उल्लिखित कारणों से उचित नहीं है। परिणामस्वरूप, दिनांक 27.08.2024 और 28.08.2024 के आक्षेपित आदेश पारित किए गए, जिसके तहत दिनांक 07.02.2024 के उपर्युक्त आदेश रद्द/निरस्त किए गए।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने तर्क दिया कि दिनांक 27.08.2024 और 28.08.2024 के आदेश अवैध हैं और विभिन्न आधारों पर रद्द किये जाने योग्य हैं; पहला, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण और दूसरा, क्योंकि यह पूरी तरह से कार्मिक विभाग की राय के आधार पर किया गया है।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

9. उन्होंने तर्क दिया कि किसी कर्मचारी को दिया गया लाभ विधिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यह भी दलील दी कि न केवल याचिकाकर्ताओं को, बल्कि सैकड़ों कर्मचारियों को भी 1973 के नियमों के ऐसे प्रावधान का लाभ दिया गया है और उन्हें सिविल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिग्रीधारक) के पद पर नियुक्त किया गया है, जो उनके पास कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिप्लोमाधारक) नियुक्त होने से पहले से ही थी।

10. 1973 के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने तर्क दिया कि एक बार 1973 के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) के तहत लाभ देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और नियुक्ति दे दी गई है, तो प्रतिवादी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे रद्द नहीं कर सकते।

11. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में यदि विवादित आदेशों को बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे याचिकाकर्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिप्लोमा धारक) के पद पर वापस भेज दिया जाएगा और यह अनुचित होगा।

12. श्री कुणाल बिश्नोई और श्री सुशील सोलंकी, प्रतिवादी - बोर्ड और निजी प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने क्रमशः श्री पुरोहित द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 1973 के नियमों के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि

याचिकाकर्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिग्री धारक) के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

13. यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिप्लोमा धारक) के पद पर मिलने वाला वेतन और अन्य परिलब्धियाँ कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिग्री धारक) के बराबर हैं। यह भी तर्क दिया गया कि अजय कुमार रार को छोड़कर सभी याचिकाकर्ताओं ने दोनों श्रेणियों के पदों, अर्थात् कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक) के लिए आवेदन किया था और चूँकि वे कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिग्री धारक) की भर्ती में असफल रहे, इसलिए उन्हें राहत देना अनुचित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसा ही किया जाता है, तो यह उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जो एक ही विज्ञापन के तहत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिग्री धारक) के पद के लिए चुने गए थे।

14. श्री बिश्रोई ने आगे कहा कि प्रतिवादी - बोर्ड ने स्वयं प्रासंगिक नियम की व्याख्या की है और इसलिए, तीन उम्मीदवारों, अर्थात् अजय कुमार रार, दिनेश कुमार शर्मा और विक्रम सिंह राठौड़ को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिग्री धारक) के रूप में बनाए रखा गया है, क्योंकि उन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिप्लोमा धारक) के रूप में नियुक्त होने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी और उनके लिए कोई प्रत्यावर्तन आदेश पारित नहीं किया गया है।

15. यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिप्लोमा धारक) के पद पर वापस लौटने पर अपनी वरिष्ठता आदि नहीं खोएंगे।

16. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री पुरोहित ने तर्क दिया कि यदि प्रतिवादी कार्मिक विभाग द्वारा 1973 के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) का लाभ न दिए जाने के बारे में दी गई राय से आश्वस्त थे, तो उन्हें कम से कम अब तक दी गई नियुक्ति को बचा लेना चाहिए था और उसे भविष्य में लागू करना चाहिए था, न कि भूतलक्षी प्रभाव से, जैसा कि किया गया है।

17. उन्होंने प्रस्तुत किया कि कार्मिक विभाग की राय विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है और कार्मिक विभाग इस तथ्य से अधिक प्रभावित था कि जब प्रतिवादी - बोर्ड ने पहले ही कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल - डिग्री धारक) के पद के लिए रिक्ति अधिसूचित कर दी थी, तो इन पदों को 1973 के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) के तहत दी गई प्रक्रिया को अपनाने के माध्यम से नहीं भरा जा सकता था।

18. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

19. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों के पदों को भरने के लिए दिनांक 03.03.2020 को एक साझा विज्ञापन जारी किया गया था। यह सच है कि अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने दोनों ही धाराओं (डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों) में आवेदन किया था, लेकिन वे डिग्री धारकों के लिए अधिसूचित पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं हो पाए।

20. आगे बढ़ने से पहले, 1973 के नियम 6 के परन्तुक के खण्ड (घ) को संज्ञान में रखना अनुचित नहीं होगा, जिसके लिए इसे नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है :-

“6. भर्ती की पद्धतियां - (1) इन नियमों में इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में पदों पर भर्ती या नियुक्ति अनुसूची के स्तंभ 3 में यथा उपदर्शित पद्धति और अनुपात से की जाएगी: बशर्ते कि -

(क.)।

(ख.)।

(ग.)।

(घ) यदि कोई डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंता बीई “सिविल/इलेक्ट्रिकल” या एएमआईई की योग्यता प्राप्त कर लेता* है, तो वह अपने आवेदन पर और रिक्ति की उपलब्धता के अधीन, सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध स्थानांतरण द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्री धारक) के रूप में नियुक्त होने का हकदार होगा, लेकिन उस मामले में कनिष्ठ अभियंताओं (डिग्री धारकों) के बीच उसकी वरिष्ठता उस रिक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी जिसके विरुद्ध ऐसे कनिष्ठ अभियंता को कनिष्ठ अभियंता (डिग्री धारक) के पद पर नियुक्त किया गया है और उसके पिछले अनुभव का एक तिहाई अगले उच्च पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए कनिष्ठ अभियंता के पद पर अनुभव के रूप में गिना जाएगा।”

*प्रबलता से।

21. 1973 के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) पर एक सरल नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उन कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल - डिप्लोमा धारकों) के

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

लिए है, जो नियुक्ति के बाद बीई (सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल) या एएमआईई की योग्यता प्राप्त करते हैं।

22. इस न्यायालय के अनुसार, 1973 के नियम 6 के परन्तुक के खण्ड (घ) के अनुसार डिग्री धारक का संवर्गीकरण स्वयं में नियुक्ति नहीं है; यह 'स्थानान्तरण के माध्यम से नियुक्ति' है। यह कनिष्ठ अभियंता (सिविल-डिग्री धारक) के संवर्ग में आमेलन के समान है।

23. 1973 के नियम 6 के परन्तुक के खण्ड (घ) में 'प्राप्त करता है' शब्द का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'प्राप्त करता है' शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'ग्रहण करना', 'अर्जित करना' या 'हासिल करना'। क्रिया 'प्राप्त' के साथ काल (साधारण वर्तमान) का प्रयोग भी नियम निर्माण प्राधिकारी के इस आशय को स्पष्ट करता है कि ऐसी डिग्री या एएमआईई कनिष्ठ अभियंता (सिविल - डिप्लोमा धारक) के रूप में नियुक्ति के बाद प्राप्त की जानी चाहिए।

24. उपरोक्त व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एन.सी. दलवाड़ी बनाम गुजरात राज्य** मामले में दिए गए निर्णय **(1987) 3 एससीसी 611** में प्रस्तुत, से समर्थित है, जिसमें यह माना गया है कि 'प्राप्ति' शब्द का अर्थ 'प्राप्त करना' या 'पहुँचना' है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

नियम 161(1)(c) (ii)(1) में 'यदि उन्होंने अधीक्षण अभियंता का पद प्राप्त नहीं किया है' शब्द स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के गलत अर्थों में लिखे गए हैं और इन्हें 'यदि उन्होंने अधीक्षण अभियंता का पद प्राप्त नहीं किया है' के

रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उस नियम में प्रयुक्त शब्द 'रैंक' है न कि 'मूल रैंक' और कोई कारण नहीं है कि इसे इसके सामान्य अर्थ ग्रेड या स्थिति के अनुसार न समझा जाए, खासकर जब इसके पहले रैंक प्राप्त नहीं किया है' शब्द आते हैं। 'प्राप्त' शब्द का अर्थ है अर्जित या पहुँचा हुआ। 'रैंक' शब्द का एक संकीर्ण और एक व्यापक अर्थ दोनों है।

25. एक व्यक्ति जिसके पास पहले से ही डिग्री और डिप्लोमा दोनों हैं, वह डिग्री धारकों के साथ-साथ डिप्लोमा धारकों के लिए निर्धारित पदों के लिए भी आवेदन कर सकता है, लेकिन वह सीधे डिग्री धारकों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह अपनी नियुक्ति के बाद डिग्री या AMIE प्राप्त न कर ले। एक उम्मीदवार जिसके पास नियुक्ति के समय डिप्लोमा था और जिसने अपनी सेवा के दौरान ही डिग्री प्राप्त कर ली है, वह 1973 के नियम 6 के परंतुक के खंड (घ) का लाभ उठा सकता है।

26. इस न्यायालय के अनुसार, यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए लाभ उन्हें दिनांक 07.02.2024 के आदेशों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, तो इससे उनके पक्ष में डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं के अधिकार छिन जाएँगे। क्योंकि वे पद जो अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे, उन पर उनका कब्जा हो जाएगा।

27. ऐसा कदम मूलतः उन सभी लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने बी.ई. (सिविल/इलेक्ट्रिकल) किया है और डिग्री धारकों की योग्यता में नहीं आ सके। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक विषम स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि डिग्री धारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहने वाला व्यक्ति, घुमावदार तरीके से डिग्री

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

धारकों की उस शाखा में चला जाएगा, जिसमें बेहतर संभावनाएँ और पदोन्नति के अवसर हैं। जैसा कि वर्तमान तथ्यों से स्पष्ट है, 8 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति डिग्री धारकों के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया में असफल रहे और अपने पास डिग्री होने के बावजूद, संबंधित नियमों के गलत प्रयोग या व्याख्या के कारण डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित पदों पर अपनी जगह सुरक्षित करने में सफल रहे।

28. जहां तक श्री पुरोहित के इस तर्क का संबंध है कि प्रतिवादियों ने विधि की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है या सेवा कानून के तहत परिकल्पित कार्यवाही नहीं की है, इस न्यायालय के अनुसार प्रतिवादियों की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

29. याचिकाकर्ताओं का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दावा भी मान्य नहीं है। प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि उसे सुनवाई का अवसर न देने से उसे कितना नुकसान हुआ है। **अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2007) 4 एससीसी 54** में प्रकाशित मामले में विधि की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन तब आवश्यक नहीं है जब इससे केवल औपचारिकता ही पूरी हो। इसका प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

"20. न्यायालय प्रत्येक मामले में मौजूद तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करता है। इसे मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना शून्य में लागू नहीं किया

जाता है। यह कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। इसे किसी सीधे-सादे सूत्र में नहीं रखा जा सकता...।”

30. तथ्य निर्विवाद हैं - प्रतिवादियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार करना ही चाहिए था। लेकिन, इस मामले में, जब यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं के पास कनिष्ठ अभियंता (सिविल-डिप्लोमा धारक) के रूप में नियुक्ति के समय भी डिग्रीयों थीं, विवाद का विषय नहीं है, तो अगर याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया जाता, तो भी उनके पास कोई ठोस बचाव नहीं होता।

31. प्रत्यावर्तन के अलावा, याचिकाकर्ताओं को किसी भी असुविधाजनक स्थिति में नहीं डाला गया है। न तो उनका पदनाम बदला गया है और न ही उनका वेतन कम किया गया है। चूंकि कोई सिविल अपराध नहीं किया गया है, भले ही यह माना जाता है कि आरोपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत हैं, नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता के साथ आदेशों को रद्द करना निरर्थकता होगी।

32. यह न्यायालय श्री पुरोहित के इस तर्क से बहुत सहमत नहीं है कि 2017 से कम से कम 20 उम्मीदवारों को नियुक्ति की तिथि पर डिग्री होने के बावजूद 1973 के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) के अनुसार कनिष्ठ अभियंता (सिविल-डिग्री धारक) के रूप में नियुक्ति दी गई थी।

33. ऐसा लगता है कि 1973 के नियमों के नियम 6 के परंतुक का खंड (घ) एक घोषित उद्देश्य से जोड़ा गया है। ये नियम 1973 में बनाए गए थे, जब अभियांत्रिकी महाविद्यालय या अभियांत्रिकी की डिग्री देने वाले महाविद्यालय कम थे, जबकि योग्य अभियंताओं की माँग बहुत ज़्यादा थी। ऐसे लोग भी थे जो आर्थिक या भौगोलिक बाधकताओं के कारण कम भाग्यशाली थे या जिनके पास उन अभियांत्रिकी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

महाविद्यालयों में प्रवेश पाने का कोई साधन नहीं था। और शायद इसीलिए माँग और आपूर्ति के बीच के विशाल अंतर को पाटने के लिए डिप्लोमा धारकों को अभियांत्रिकी सेवाओं में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, उन्हें अपेक्षित योग्यता प्रदान करने और विशेषज्ञता एवं उच्च योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें एएमआईई (AMIE) प्राप्त करने का अवसर दिया गया ताकि उनकी योग्यता अभियांत्रिकी डिग्री के समकक्ष हो सके। और फिर, सेवा में बने रहते हुए, उन्हें डिग्री धारकों की श्रेणी में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, 1973 के नियमों के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) को शामिल किया गया ताकि वे सभी उम्मीदवार जो अभियांत्रिकी की डिग्री हासिल नहीं कर सके, बाद में अभियांत्रिकी की डिग्री के अनुरूप अतिरिक्त योग्यता प्राप्त कर सकें (जो कि एक पूर्वापेक्षित योग्यता है या मानी जाती थी) और अभियंताओं की मुख्यधारा में आ सकें।

34. इस न्यायालय के अनुसार, यह प्रावधान अपनी प्रभावकारिता और उपयोगिता दोनों खो चुका है - क्योंकि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बहुतायत में हैं और डिग्री धारक उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है। निस्संदेह, एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उन कम भाग्यशाली लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करे, जो अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त अंक और साधन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर, डिग्री और डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को डिग्री होने के बावजूद डिप्लोमा धारकों के लिए पदों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देना और फिर उन्हें 1973 के नियम 6 के प्रावधान के खंड (घ) का लाभ उठाने की अनुमति देना न केवल कानूनन

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/692/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

अनुचित है, बल्कि स्पष्ट प्रावधान और विधायी मंशा के भी विरुद्ध है। इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के आमेलन को सही ढंग से रद्द किया है।

35. न्यायाधिकार की भावना में, इस न्यायालय का मानना है कि " गलत को लगातार जारी रखने की अपेक्षा किसी दिन सही होना बेहतर है "।

36. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के तर्कों में कोई दम या सार नज़र नहीं आता। इस प्रकार, ये सभी रिट याचिकाएँ विफल हो जाती हैं।

37. तदनुसार, स्थगन आवेदन भी खारिज किये जाते हैं।

(दिनेश मेहता) ,जे

31-33-आकांक्षा/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी